संख्या -174/2026/1128/35-4-2026/35-4099/207/2023

प्रेषक,
राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
गाजीपुर ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2026

विषय – जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्रांक-837/त्व0आ0वि0यो0/2023-24,दिनांक 10 जुलाई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-897/2023/2895/35-4-2023/35-4099/207/2023, दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 07 कार्यों की समर्पित/अवशेष धनराशि पुनः अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। आपके उक्त पत्र दिनांक 10.07.2026 पर अंकित सारणी के क्रमांक-5 हेतु 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि भी उपलब्ध करने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत सड़क निर्माण कार्य से संबंधित जनपद गाजीपुर में संदर्भित शासनादेश, दिनांक 30 नवम्बर, 2023 द्वारा स्वीकृत 07 कार्यों की (मूल्यांकित लागत रू0 98.30 लाख) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में ही सम्पूर्ण धनराशि रू0 98.30 लाख प्रदान की गयी थी। किन्तु रू0 49.15 लाख व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि आपके पत्रांक 281/त्व0आ0वि0यो0/समर्पण/2023-24,दिनांक 31 मार्च, 2024 के द्वारा शासन को समर्पित कर दी गयी। तत्क्रम में आपके द्वारा उक्त 07 कार्यों हेतु समर्पित धनराशि रू0 49.15 लाख को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: कार्यों के अनुबन्ध पर हुयी बचत की धनराशि को समायोजित करते अवशेष रू. 48.40 लाख (रूपये अड़तालिस लााख चालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**कार्य का नाम**	**अनुमोदित लागत (जीएसटी सहित)**	**निविदा की लागत**	**अन्य कर मदों में (जीएसटी की धनराशि)**	**कार्य की लागत (जीएसटी सहित) जी0एस0टी0 के अतिरिक्त अन्य मदो को छोड़कर**	**कुल बचत (3-6)**	**व्यय धनराशि (व्यय = प्रथम किशत में अवमुक्त धनराशि -**	**बचत एवं व्यय धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवमुक्त हेतु अवशेष**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					(नियमानुसार जोड़ने पर) (4+5)		समर्पित धनराशि)	देय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम गदाईपुर बहोरमा में पिच रोड से धर्मदेव के घर होते हुए सी०सी० रोड तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	18.61	15.64	2.815	18.45	0.16	9.31	9.14
2	मुडकुड़ा डिग्री कॉलेज के दीवार से राम अशीष के घर तक इण्टरलांकिग कार्य	14.18	11.92	2.145	14.06	0.12	7.09	6.97
3	ग्राम भरतपुर में प्रमोद कुशवाहा के घर से डा० पुरूषोतम राजभर के मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	18.41	15.47	2.784	18.25	0.16	9.21	9.04
4	ग्राम सभा गहनी में बब्लू सोनकर के घर से राम बचन के घर तक सी०सी० रोड का कार्य	13.46	11.31	2.04	13.35	0.11	6.73	6.62
5	विकास खण्ड- मनिहारी में ग्राम- यूसुफपुर में पिच रोड से बेचन राम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	12.91	10.76	2.043	12.80	0.11	6.45	6.35

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

6	विकास खण्ड-जखनियों में नेवादा में दुर्गा विजय राय के पिच रोड से त्रिलोकी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	9.37	7.94	1.430	9.37	0.00	4.68	4.69
7	विकास खण्ड जखनियों के राजापुर में पिच रोड से यशवंत के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	11.36	9.55	1.720	11.27	0.09	5.68	5.59
	योग	98.30	82.59	14.977	97.55	0.75	49.15	48.40

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी। कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराते हुये कार्य पूर्णता का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
5. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया जायेगा।
6. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उपरोक्त प्रस्तर-3 की सारिणी के क्रमांक-5 पर अनुमन्य लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जाएगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये. 48,40,000/- (रूपये अड़तालिस लााख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054043370303

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के सुधार हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या -174/2026/ 1128/35-4-2026/35-4099/207/2023, तद्दिनांक</u> |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0 प्र0 शासन ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, वाराणसी मण्डल ।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी,गाजीपुर ।
10. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजीपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजीपुर ।
13. अधिशासी अभियंन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गाजीपुर।
14. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।